Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 7 जुलाई, 2015
(16 आषाढ़, 1937 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का0आ0 137/के0अ010/1994/धा030/2015 दिनांक 3 जुलाई, 2015– अपराधों के विचारण हेतु मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने बारे।	333—334
	2. अधिसूचना संख्या का0आ0 138/ह0अ032/2014/धा0 9/2015 दिनांक 3 जुलाई, 2015– प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सहित जिला न्यायाधीश के न्यायालय को पदाभिहित न्यायालय के रूप में गठित करने बारे।	335—336
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जुलाई, 2015

संख्या का0 आ0 137/के0 अ0 10/1994/धा0 30/2015.–मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम 10), की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मुख्य न्यायाधीश, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में प्रत्येक द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश तथा जहां अपर सत्र न्यायाधीश का केवल एक ही न्यायालय है, तो प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण हेतू मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं।

पी0 के0 महापात्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 3rd July, 2015

No. S.O. 137/C.A.10/1994/S.30/2015. - In exercise of the powers conferred by section 30 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (Central Act 10 of 1994) the Governor of Haryana with the concurrence of the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court hereby specifies the court of 2nd Additional Sessions Judge, and if there is only one Court of Additional Sessions Judge, then 1st Additional Sessions Judge in each district in the State of Haryana, to be a Human Rights Court to try offences under the aforesaid Act, within their respective territorial jurisdiction.

P. K. MAHAPATRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जुलाई, 2015

संख्या का0 आ0 138/ह0 अ0 32/2014/धा0 9/2015.—हरियाणा वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2013 (2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 32), की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मुख्य न्यायाधीश, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण हेतू अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सहित जिला न्यायाधीश के न्यायालय को पदाभिहित न्यायालय के रूप में गठित करते हैं।

पी0 के0 महापात्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 3rd July, 2015

No. S.O. 138/H.A.32/2014/S. 9/2015.- In exercise of the powers conferred by section 9 of the Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2013 (Haryana Act 32 of 2014) the Governor of Haryana with the concurrence of the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, hereby constitutes a court of District Judge including 1st Additional District Judge in each district in the State of Haryana, to be designated Court, to try offences under the aforesaid Act, within respective territorial jurisdiction.

P. K. MAHAPATRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

53470—C.S.—H.G.P., Chd.